न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 21 / 2018

प्रविष्टि दिनांकः– 17–9–2018

नोरतमल पंवार पुत्र नन्दसिंह पंवार जाति रावणा राजपूत निवासी केकड़ी तह0 केकडी जिला अजमेर राज0 ..... अपीलाण्ट

बनाम

1.तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक

2.नगर पालिका देवली जरिए अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली जिला–टोंक

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 ले0 रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्व नामान्तरकरण सं0 2452 दिनांक 22–12–2010 ग्राम देवली गॉव तहसीलदार देवली

उपस्थितः (1) श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलाण्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत राजकीय पेरोकार रेस्पा0 नं0 1

(3) श्री संजय जैन रेस्पोडेण्ट सं0 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 29–6–2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील पेश कर निवेदन किया कि उसने आराजी खसरा नंबर 1536 रकबा 0.14 है0 जमीन बारानी प्रथम कृषि भूमि के रूप में खातेदार गिरवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी देवली गॉव से दिनांक 29–6–2009 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर अपीलान्ट ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी देवली के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया था, परन्तु अपीलान्ट द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई गई इसके बावजूद भी उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 2452 प्रार्थी के बजाए नगर पालिका देवली के नाम स्वीकार कर दिया जो प्रथम दृष्ट्या ही गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स की जरिये सम्मन तलबी की गई एवं मूल नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट, राजकीय पेरोकार सुनी गई। अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए उन्हें आदेश दिनांक से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का मौका दिया गया किन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं. 2452 दिनांक 22.12.2010 विधि विधान तथा वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने नकद प्रतिफल देकर खातेदार गिरवर सिंह पुत्र रामसिंह राजपूत से ख.नं. 1536 रकबा 0.14 है. ग्राम देवली गांव तहसील देवली जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद करके कब्जा प्राप्त किया था तब से ही अपीलांट में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार निहित हो चुके हैं, यह भूमि बिना किसी वैध आदेश व अन्तरण के अपीलान्ट के अलावा अन्य के हक में अन्तरण या अंकित करने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पहले कृषि भूमि थी जो आज भी कृषि भूमि हैं, तथाकथित नामान्तकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

गैर कानूनी है, नामान्तकरण स्वीकार करने से पहले किसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर कब्जे काश्त व खातेदारी की कोई जांच नहीं की। अपीलांट ने कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात औद्योगिक संपरिवर्तन के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया था, संपरिवर्तन का विधिक आदेश पारित नहीं करने के कारण अपीलान्ट ने कोई फीस जमा नहीं करवायी गई थी। तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण सं. 2452 दिनांक 24.12.2010 नगर पालिका के नाम स्वीकार कर दिया, इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि संपरिवर्तन की राशि जमा होकर औद्योगिक परियोजनार्थ या अन्य प्रयोजनार्थ परिवर्तित भी हो जाती तो भी उक्त भूमि के मालिकाना अधिकार लगातार अपीलान्ट में ही निहित रहना चाहिये थे, अपीलान्ट का स्वत्व बदला नहीं जा सकता था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 2452 दिनांक 22.12.2010 निरस्त किया जावे एवं आराजी ख. नं. 1536 रकबा 0.14 है. ग्राम देवली गांव तहसील देवली पुनः अपीलान्ट के नाम खातेदारी में अंकित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित किया जावें। साथ ही अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट म्याद बाहर है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हे नामान्तकरण की जानकारी कुछ समय पूर्व हुई है। मान्य नहीं है। साथ ही यह भी कथन किया कि उक्त भूमि प्रकरण स0 03/2010 में कस्बा देवली के पेराफेरी में स्थित कृषि भूमि है। जिसका नामान्तरकरण 2452 निर्णय दिनांक 22–12–2010 न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी देवली) नगर पालिका देवली के प्रकरण सं0 03/2010 आदेश क्रमांक 1709–11/राजस्व/स.पं./2010 दिनांक 23–7–2010 एंव तहसील आदेश क्रमांक/1091/2010 दिनांक 6–8–2010 की पालना में नियमानुसार खोला गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्षो एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1536 रकबा 0.14 है0 जमीन बारानी प्रथम कृषि भूमि के रूप में खातेदार गिरवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी देवली गॉव से दिनांक 29–6–2009 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर अपीलान्ट ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी देवली के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश करना बताया है किन्तु उसके समर्थन में कोई सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन हैतु प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद नामा0 2452 निर्णय दिनांक 22–12–2010 नगर पालिका देवली के नाम स्वीकृत किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2452 दिनांक 22–12–2010 वाके ग्राम देवली गॉव तहसील देवली को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार देवली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि संपरिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन/पत्रावली की जॉच कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनः न्यायोचित निर्णय करें।

निर्णय आज दिनांक 29–6–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)